

UAE का FATF ग्रे लसिट से बाहर नकिलना

स्रोत: बजिनेस लाइन

चर्चा में क्यों?

वित्तीय कारखाई कारबल द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया गया है, जिससे नविश परदृश्य में वशिष्ठ रूप से भारत की गैर-बैंकगी वित्तीय कंपनियों के प्रतिविशेषास को बढ़ाया है।

ग्रे लसिट से UAE के बाहर नकिलने से भारतीय NBFC में नविश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **नविश नीतियाँ:** वर्ष 2021 में **भारतीय रजिस्टर बैंक** के परिपत्र में NBFC के लिये नविश नीतियों की रूपरेखा दी गई है, जो FATF क्षेत्राधिकारों के अनुपालन के साथ-साथ गैर-अनुपालन वाले नविशों के बीच अंतर करता है।
 - गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों से नविश को भारतीय NBFC में महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त करने पर प्रतिबिधियों का सामना करना पड़ा।
- **UAE नविशकों पर प्रभाव:** UAE को FATF की ग्रे-लसिट से हटाने से भारतीय NBFC में UAE-आधारित नविशकों के लिये नविश आसान हो जाएगा।
- **सीमा पार नविश सुवधाः:** आसान प्रतिबिधियों से भारत और UAE के बीच सीमा पार नविश को बढ़ावा मिलता है, जिससे दोनों देशों के वित्तीय क्षेत्रों को लाभ होता है।
- **FPI और FDI में वृद्धि:** UAE के बाहर नकिलने से क्षेत्र से **विदेशी पोर्टफोलियो नविश** के लिये अपने **ग्राहक को जानें/नो योर कस्टमर** (KYC) की आवश्यकताएँ कम हो सकती हैं, जिससे संभावित रूप से भारत (दोगुने होने की उम्मीद है) में FPI प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।
 - UAE को ग्रे-लसिट से हटाने से आरथक विकास में योगदान देने वाले **प्रत्यक्ष विदेशी नविश (FDI)** में वृद्धि हो सकती है। यह प्रतिस्पर्द्धा नवाचार को बढ़ावा दे सकती है और दोनों क्षेत्रों में अधिक नविश आकर्षण कर सकती है।

गैर-बैंकगी वित्तीय कंपनी (NBFC) क्या है?

- **परचियः** NBFC कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जो विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में शामलि होती है जैसे क्रिक्षण और उधार प्रदान करना, शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, डिबिंचर तथा सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना।
 - NBFC में मुख्य रूप से संलग्न संस्थान नमिनलखित गतिविधियों में शामलि नहीं हैं:
 - कृषिया औद्योगिक गतिविधियाँ
 - वस्तुओं की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा)
 - सेवाएँ उपलब्ध कराना
 - अचल संपत्तिका व्यापार करना।
- **बैंकों और NBFC के बीच अंतरः**
 - जबकि बैंक ग्राहकों से डिमांड डिपॉजिटि स्वीकार कर सकते हैं, NBFC को ऐसा करने की अनुमति नहीं है।
 - बैंकों के विपरीत, NBFC भुगतान और नपिटान प्रणाली का हसिसा नहीं है।
 - NBFC स्वयं आहरति चेक जारी नहीं कर सकते, जबकि बैंक इसके लिये अधिकृत हैं।
 - जमा बीमा और करेडिट गारंटी नियम द्वारा प्रदान की जाने वाली जमा बीमा सुवधा बैंक जमाकरताओं के विपरीत, NBFC जमाकरताओं के लिये उपलब्ध नहीं है।

FATF क्या है?

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF)



परिचय

- * ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का निगरानीकर्ता

स्थापना:

- * जुलाई 1989, पेरिस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान

उद्देश्य:

- * मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का विरोध करना।

सदस्य:

- * 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपियन कमीशन व खाड़ी सहयोग परिषद)
- * इंडोनेशिया एक पर्यवेक्षक देश है।

मुख्यालय:

- * सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित

ग्रेलिस्ट होने के परिणाम:

- * FATF (IMF, World Bank, ADB) से संबद्ध वित्तीय संस्थानों से आर्थिक प्रतिवंध
- * वित्तीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या
- * अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी
- * अंतर्राष्ट्रीय बहिकार

भारत और FATF:

- * भारत वर्ष 2006 में एक पर्यवेक्षक देश बन गया।
- * भारत वर्ष 2010 में FATF का 34वाँ सदस्य बना।
- * भारत इसके क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरोपियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

* ग्रे लिस्ट:

- * इसका मतलब है- “बढ़ी हुई निगरानी सूची”
- * इसमें आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माने जाने वाले देशों को शामिल किया जाता है।
- * सर्वधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे बैंक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

* बैंक लिस्ट:

- * असहयोगी देश या क्षेत्र (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT) शामिल हैं ये देश आतंकी फड़िग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- * देश-ईरान, उत्तर कोरिया और स्थानीय